बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का.आ.सं.–भवन / मु0अभि0(पटना)यो0विविध 8–21 / 2018 ..... 1027 (M) , दिनांक 4.2.2020

आदेश

स्कीमों की समीक्षा हेतु स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखे जाने की बाध्यता को शिथिल करने एवं वित्त विभाग का संकल्प ज्ञापांक 9391 दिनांक 25.11.2019 के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं को स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखे जाने की बाध्यता को शिथिल वित्त विभाग द्वारा किया गया है:-

1. गैर योजना मद के तहत सभी तरह के E/R कार्य, S/R कार्य एवं वार्षिक अनुरक्षण तथा मरम्मति कार्य।
2. न्यायिक/गैर न्यायिक आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों में अनुमोदित प्राथमिकता सूची के तहत कराये जाने वाले सभी तरह के वार्षिक मरम्मति कार्य अथवा जीर्णोद्धार कार्य।
3. नव निर्मित सरकारी भवनों/निरीक्षण भवनों के प्रथम तीन वर्षों में योजना मद में तथा अनुवर्त्ती वर्षों में गैर योजना मद से कराये जाने वाले रख-रखाव कार्य/Housekeeping इत्यादि कार्य जिसके लिए प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाता है।
4. महानुभावों के मूर्त्ति अधिष्ठापन से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश जिसकी सैद्धान्तिक सहमति मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दी जाती है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति के आलोक में उपर्युक्त वर्णित कंडिकाओं से अच्छादित मामले पूर्व की तरह विभागीय स्तर पर निष्पादित किया जायेगा।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

04/04/2020

(कश्यप कुमार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पटना, दिनांक- 4.2.2020

ज्ञापांक- 1027 (M)

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव/ उप सचिव (बजट)/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/04/2020

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

4/2/20